केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003
N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003
वेबसाईट/WEBSITE : http://www.centralexciseaurangabad.gov.in
ई-मेल/E-mail : cexauran@excise.nic.in
फोन/Phone : +91-240-2484975 फैक्स/Fax : +91-240-2483303/2476627

सेवोत्तम/SEVOTTAM
आई.एस.-15700 प्रमाणित
IS-15700 CERTIFIED

# व्यापार सूचना सं 05/ केन्द्रीय उत्पाद / 2016

विषय :- आभूषण पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अधिरोपण- उच्च स्तरीय समिति की उपसमिति के गठन के संबंध में।

सभी व्यापार तथा उद्यम का ध्यान केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड नई दिल्ली के दि. 21.03.2016 को फा सं 354 /25/2016 - टी आर यू के अधीन जारी परिपत्र सं 1021/9/2016 केंद्रीय उत्पाद की ओर आर्कषित किया जाता है।

2. वर्ष 2016-17 के बजट में 1% की दर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क (बिना इनपुट टेक्स क्रेडिट) तथा 12.5% की दर से (इनपुट टेक्स क्रेडिट के साथ) (चांदी के आभूषणों को छोडकर) हीरे,माणिक, पन्ना, नीलम जडे हो उन के अलावा अन्य आभूषण की सभी सामग्री पर लगाया जाता है।

3. इस संबंध में व्यापार तथा उद्यम के साथ कर नियमों पर चर्चा करने हेतु डॉ.अशोक लाहिरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमे सम्मिलित रहेगे।

क. व्यापार के तीन प्रतिनिधि सरकार द्वारा निशचित किए जाएगे।

ख. एक विधि विशषेज्ञ सरकार द्वारा निशचित किया जाएगा।

ग. वाणि ज्य तथा उद्योग मंत्रालय से संबंधित अधिकारी (एमओसीएवंआई) एमओसीएवंआई ने मनोनीत किया हो तथा

घ. केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी जिन्हे केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा मनोनीत किए गए हो।

उपसमिति के सदस्यों के नामों को अंतिम रूप देने के पश्चात उपसमिति के गठन का परिपत्र परिचालित किया जाएगा।

4. सभी संगठनो को उपसमिति को लिखित रूप में अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा एवं अखिल भारतीय संगठनो को व्यक्तिगत रूप से उनके मामलों को प्रस्तुत करना होगा।

5. उपसमिति के विचारार्थ विषय में उत्पाद शुल्क के अनुपालन प्रकिया से संबंधित सभी मामलें जिसमें अभिलेखों का रखरखाव, पपत्र 12 ए ए सहित पपत्रों को दाखिल करना है, कार्यप्रणाली तथा संबंधित अन्य मामलें समाविष्ट होगे। उपसमिति गठि त होने के पश्चात 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6 . उपसमिति की सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने तक निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा।

क. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी भुगतान प्रथम विक्री बीजक मूल्य पर आधारित रहेगे।

ख. केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी प्रस्तुत बीजक में दिए गए मूल्यांकन को चुनौती नही देगे बशर्ते कि, सोने/ चॉदी का रत्नों सहि त वजन कैरेट /शुध्दता एवं हीरा, /रत्नों के कैरट को बीजक में दर्शाया गया हो।

ग. केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी उत्पादन ईकाईयों / दुकानों/ व्यापार स्थल / ज्वेलर्स के निवास स्थान पर नही जाएगे।

घ. किसी भी ज्वेलर्स की गिरफ्तारी या अपराधिक अभियोग नही लगाया जाएगा।

च. किसी भी केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी द्वारा स्टाक का सर्च या जब्ती नही की जाएगी।

निर्यातको को स्वघोषणा पर निर्यात करने की अनुमति होगी सीमा शुल्क को एलयूटी प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद से एलयूटी की अभिपुष्टि कराने की आवश्यकता नही है पूर्ववर्ती प्रणाली ही लागू रहेगी।

7. 01 मार्च 2016 से 60 दिनों के भीतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से पंजीकरण कर सकते है, तथापि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की देनदारी 01 मार्च 2016 से प्रभावी होगी। निर्धारिति/ज्वेलर्स को मार्च 2016 के लिए विशेष मामले के रूप में मार्च 2016 का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान अप्रैल माह के भुगतान के साथ करने की अनुमति दी जाती है।

8. उपरोक्त उपसमिति से संबंधित किसी भी प्रकार के पत्राचार के लिए उच्च स्तरीय समिति के कार्यालय का पता एचएलसी कक्ष क्र. 215 जनपथ होटल, जनपथ मार्ग, बी.एस.एन.एल बिल्डिंग के सामने नई दिल्ली 110001 रहेगा।

9. सभी व्यापार संगठन तथा चेम्बर्स ऑफ कामर्स, क्षेत्रीय सलाहकार समिति/ लोक शिकायत समिति के सदस्यो से अनुरोध है,कि वे इस व्यापार सूचना को प्रचारित करे तथा अपने सदस्यो को व्यापार सूचना की जानकारी दे।

हस्ता/-

फा.सं वीजीएन(30)24/टी.सी/2016 — सी.एल.महर

औरंगाबाद दि. 11 अप्रैल 2016 — आयुक्त

प्रति प्रस्तुत

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, नागपुर प्रक्षेत्र, नागपुर
2. सभी व्यापार के लिए कार्यालयीन डाक सूची के अनुसार
3. विभाग के सभी मंडलीय प्रमुख
4. संगणक अनुभाग को कार्यालयीन बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. मुख्यालय का सूचना फलक